27.05.2026

आवेदक द्वारा श्री संतोष वर्मा अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक द्वारा ए.डी.पी.ओ.उपस्थित।

मूल प्रकरण आर.सी.टी. क्रमांक 46/2024 मेरे समक्ष पस्तुत किया गया।

आवेदन पत्र पर उभय पक्ष को सुना गया।

अभियुक्त अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि अभियुक्त मजदूर पेशा व्यक्ति है उसके पास से पेशी तारीख की चिट्ठी कहीं गुम हो गई थी जिस कारण वह पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका था इस कारण अभियुक्त के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट का आदेश जारी कर दिया गया है, अभियुक्त की निरंतर अनुपस्थिति के कारण उसके विरूद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट का आदेश जारी कर दिया गया है अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है अभियुक्त न्यायिक निरोध में निरूद्ध है,

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है, अभियुक्त सशर्त प्रतिभूति प्रस्तुत करने को तत्पर है। अतः आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया।

अभियोजन द्वारा आवेदन पत्र का विरोध प्रकट कर निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण का परिशीलन किया गया।

परिशीलन से प्रतीत होता है कि अभियुक्त शाहरूख के विरूद्ध इस न्यायालय में लंबित दांडिक प्रकरण कमांक 46/2024 अंतर्गत धारा 379 भा.दं.सं. व धारा 4/21 खान खनिज अधिनियम का विचाराधीन है, उक्त प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुति के प्रकम पर अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण उसके विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट का आदेश जारी कर दिया गया था जिसकी तामीली के अभाव में अभियुक्त के विरूद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है अभियुक्त को स्थायी गिरफ्तारी वारंट के पालन में पुलिस द्वारा पेश किया गया, अभियुक्त वर्तमान में न्यायिक निरोध में निरूद्ध है, प्रकरण में समय लगने की संभावना है, तब तक अभियुक्त को न्यायिक निरोध में रखे जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता हैं। अतः आवेदन पत्र स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि आवेदक अपनी मामले में नियमित उपस्थिति की शर्त के साथ 10,000 दस हजार रूप्ये की नवीन सक्षम प्रतिभूति एवं इतनी ही राशि का बंधपत्र न्यायालय की संतुष्ठि योग्य प्रकरण में प्रस्तुत करे तो उसे प्रतिभूति पर मुक्त किया जाये।

धारा 446 दं.प्र.सं. के तहत आवेदक द्वारा पूर्व प्रस्तुत मुचलका में से 1000 रूपये की जप्ती की जाकर शेष राशि का परिहार किया जाता है।

आदेश की एक प्रति मूल रेकार्ड के साथ संलग्न की जाये।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रेकार्ड दाखिल किया जाये।

कुन्दन जे.एम.एफ.सी.
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कन्नोद जिला देवास (म.प्र.)